

अबुबक्कर सिद्दीख पी०, भा० प्र० से०
सरकार के सचिव।

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 19.06.26

वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल 1,74,605 सक्रिय मछुआरों के बीमा {प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना - Group Accident Insurance Scheme (GAIS) in convergence with Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)} हेतु कुल मो० 55,84,567/- (पचपन लाख चौरासी हजार पाँच सौ सड़सठ) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में माँग सं०-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल 1,74,605 सक्रिय मछुआरों के बीमा {प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-Group Accident Insurance Scheme (GAIS) in convergence with Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)} हेतु कुल 55,84,567/- (पचपन लाख चौरासी हजार पाँच सौ सड़सठ) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB), हैदराबाद के पत्रांक NFDB/PMMSY/GAIS/2026-27 दिनांक 29.04.2026 द्वारा संसूचित है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत Group Accident Insurance Scheme (GAIS) को Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) के साथ अभिसरित कर क्रियान्वित किया जाना है।

3. NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB/PMMSY/GAIS/2026-27 दिनांक 14.05.2026 के आलोक में PMMSY के तहत क्रियान्वित की जा रही इस योजना हेतु लागू प्रीमियम का व्यय भार वहन केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः 60 : 40 के अनुपात में किया जाएगा। तदनुसार राज्य योजना की प्रीमियम राशि Round off किये जाने पर मो० 55,84,567/- रुपये मात्र होगा। केन्द्र सरकार राज्यांश के समानुपातिक अपने अंशदान की 60 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) हैदराबाद को सीधे प्रेषित करेगी, जो इस योजना की मत्स्य प्रक्षेत्र की नोडल एजेंसी है।

4. इस योजना के अंतर्गत NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB/PMMSY/GAIS/2026-27 दिनांक 14.05.2026 के आलोक में इस योजना में 18 वर्ष से 70 वर्ष आयु वर्ग के राज्य के वैसे सभी सक्रिय मछुआरा लाभान्वित होंगे जो किसी भी निर्बाधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति या मत्स्यजीवी स्वावलम्बी समिति के सदस्य हों अथवा जिला स्तर, प्रमण्डल स्तर अथवा राज्य स्तर पर मत्स्य विभाग से सम्बद्ध मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक, मत्स्य श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, केज मत्स्य मित्र,

मत्स्य मित्र हों अथवा मत्स्य पालन से संबंधित संबद्ध गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल व्याक्तया का कोई अन्य क्षणी हों।

Insurance की यह योजना NFDB के माध्यम से "Group Janata Personal Accident Policy (GJPA)"—सह—"Special Contingency Policy (SCP) Covering Permanent Partial Disability and Hospitalization" दो संयुक्त कॉम्पोनेन्ट के साथ-साथ Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) सहित लागू होगी। इस योजना के लिए प्रति बीमित मछुआरा देय लाभ एवं प्रति वर्ष प्रीमियम की दरें निम्न प्रकार हैं—

(क) प्रति बीमित मछुआरा देय लाभ

Convergence of GAIS with PMSBY				
Type	Sum Insured (Rs.)			
	Accidental death	Permanent Total Disability	Permanent Partial Disability	Accidental Hospitalization
PMSBY	2.00 lakh	2.00 lakh	1.00 lakh	0
GAIS - GJPA	3.00 lakh	3.00 lakh	0	0
GAIS - SCP	0	0	1.50 lakh	25,000
Total	5.00 lakh	5.00 lakh	2.50 lakh	25,000

(ख) प्रति वर्ष प्रीमियम की दर

Details of Premium (Rs.)					
Sl. No.	Insurer	Premium Quoted (Rs.)			
		PMSBY	GJPA	SCP	Total
1	M/s Go Digit General Insurance Limited	20.00/-	55.96/-	4.00/-	79.96/-

(ग) प्रति वर्ष प्रति बीमित हेतु प्रीमियम की दर – राज्यांश एवं केन्द्रांश की राशि (रु० में)

PMMSY-Group Accident Insurance Scheme (GAIS) & Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY)					
क्रम	प्रीमियम का भार वहन	पॉलिसी का प्रकार	राज्य सरकार का अंशदान	केन्द्र सरकार का अंशदान	कुल
1	केन्द्र सरकार—60 % राज्य सरकार—40 %	GJPA	22.384	33.576	55.96
		SCP	1.60	2.40	4.00
		PMSBY	8.00	12.00	20.00
		Total	31.984	47.976	79.96

केन्द्र सरकार का अंशदान प्रतिशत 60 % = 47.976 रु०

राज्य सरकार का अंशदान प्रतिशत 40 % = 31.984 रु०

(लाभुकों से कोई अंशदान नहीं लिया जाएगा)

4. NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB/PMMSY/GAIS/2026-27 दिनांक 14.05.2026 के आलोक में इस योजना अंतर्गत बीमा कवरेज के पंचम वर्ष (वित्तीय वर्ष 2025-26) की वार्षिक समयावधि को दिनांक 31.05.2026 को समाप्त करते हुए छठे वर्ष अर्थात् चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक समयावधि दिनांक 01.06.2026 से प्रारंभ की जा रही है जो दिनांक 31.05.2027 तक होगी।

6. Group Accident Insurance Scheme (GAIS) की यह योजना केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत कियान्वित की जा रही है एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) अंतर्गत राशि का व्यय SNA-SPARSH Portal के माध्यम से किया जाना है। SNA-SPARSH पर तकनीकी रूप से प्रत्येक राज्यांश (S) के विरुद्ध केन्द्रांश (C) अर्थात् दोनों की राशि का भुगतान करते हुए विपत्र तैयार करने का Mandatory प्रावधान है। किन्तु Group

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

राज्य द्वारा किया जाना है। इसी कम में आ रही तकनीकी कठिनाई को दूर करने हेतु वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार से पूर्व में प्राप्त परामर्श एवं विगत वित्तीय वर्ष 2025-26 की भांति ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के Top Up मद में उपलब्ध बजटीय उपबंध से प्रीमियम भुगतान किया जाना है।

उक्त कम में विभिन्न तीन लघु शीर्षवार उपलब्ध बजट उपबंध एवं योजना उद्व्यय के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत निम्न रूप से राज्यांश मद के राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

मॉग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (राशि रू0 में)

क्र०	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	पूर्व में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन					
1	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050010177010649	192000000	74000000	0	118000000
	कुल केन्द्रांश	192000000	74000000	0	118000000
2	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649	128000000	49333330	0	78666670
3	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश - स्टेट टॉप अप) 53X24050010177010649	293000000	0	3253764	26046236
	कुल राज्यांश	157300000	49333330	3253764	104712906
लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना					
4	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649	660000000	200000000	0	460000000
	कुल केन्द्रांश	660000000	200000000	0	460000000
5	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	440000000	13333330	0	30666670
6	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश - स्टेट टॉप अप) 53X24050078977010649	167000000	0	549102	16150898
	कुल राज्यांश	607000000	13333330	549102	46817568
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना					
7	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649	177000000	56000000	0	121000000
	कुल केन्द्रांश	177000000	56000000	0	121000000
8	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649	118000000	37333340	0	80666660
9	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश - स्टेट टॉप अप) 53X24050079677010649	200000000	0	1781701	18218299
	कुल राज्यांश	138000000	37333340	1781701	98884959
	सकल केन्द्रांश:	435000000	150000000	0	285000000
	सकल राज्यांश	356000000	100000000	5584567	250415433
	कुल योग (2405) :	791000000	250000000	5584567	535415433

कुल स्वीकृत राशि 55,84,567/- (पचपन लाख चौरासी हजार पाँच सौ सड़सठ) रुपये

7. बीमित व्यक्तियों को निम्न प्रकार बीमा लाभ प्राप्त होगा-

(क) मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में बीमित को अथवा उनके वैध आश्रित को मो0 5,00,000/- (पाँच लाख) रू0 का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा।

(ख) आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में मो0 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रू0 एवं मो0 25,000/- (पच्चीस हजार) रू0 तक का अस्पताल खर्च भुगतान किया जाएगा।

8. (क) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची होंगे तथा संलग्न परिशिष्ट - 1 के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत डोरण्डा कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी कर इस योजना के नोडल एजेंसी NFDB को सीधे हस्तांतरित किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर संसूचित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

NFDB के पत्रांक NFDB/PMMSY/GAIS/2026-27 दिनांक 14.05.2026 द्वारा उपलब्ध कराया गया बैंक खाते का विवरण निम्न है -

Sl. No.	Particulars	Details
1)	Name of the Account Holder	National Fisheries Development Board
2)	Account Number	110311010000004
3)	Name of the Bank	Union Bank of India
4)	Name of the Branch	Secretariat Branch, Hyderabad
5)	IFS Code	UBIN0811033

(ख) इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

9. पूर्व में चालित केन्द्र प्रायोजित सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना की भाँति ही जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी दावा प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा विहित प्रपत्र में वांछित अनुलग्नकों सहित भरे हुए तथा बीमित/वैध आश्रित द्वारा हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा मत्स्य निदेशालय को भेजे जायेंगे। निदेशालय द्वारा इसे नोडल एजेंसी (NFDB) को भेजा जायेगा अथवा NFDB से प्राप्त निदेशों के आलोक में प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

10. जिला मत्स्य पदाधिकारी/दावा प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी, बीमित के बैंक खाते से संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक को बीमित के दुर्घटना/मृत्यु की सूचना ससमय संसूचित करेंगे ताकि किसी एक ही एजेंसी अर्थात् बैंक के माध्यम से अथवा NFDB के माध्यम में से मात्र एक ही दावे का भुगतान बीमित को हो।

11. इस योजना के लिए उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित योजना उदव्यय तथा बजट-उपबंध के अंतर्गत है।

12. जिलावार, लघु शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

13. जिला मत्स्य कार्यालयों, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रबन्ध निदेशक, झास्कोफिश के द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा ताकि अज्ञानतावश मछुआरे इस योजना के लाभ से वंचित न रहें।

14. मत्स्य निदेशालय/जिला मत्स्य कार्यालयों के द्वारा मछुआरों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के पृथक-पृथक एक पृष्ठ के सूचना पैम्पलेट प्रकाशित कराये जायेंगे, ताकि लक्षित वर्ष के समस्त लोगों को ऐसी योजनाओं की जानकारी दी जा सके।

15. यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक Component के रूप में चालू की गई है तथा इस योजना के अंतर्गत कोई भी राशि अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है।

16. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत प्रस्तावित कुल 1,74,605 मछुआरों के बीमा कवरेज हेतु मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 668 दिनांक 25.05.2026 एवं 718 दिनांक 02.06.2026 द्वारा

(सह)

राजीव

1

राजीव

*

NFDB, हैदराबाद को संसूचित है। इसपर राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval & Monitoring Committee – SLAMC) से घटनोत्तर अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

17. यह स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-२/आर०-०१-२००५-३०२ दिनांक ११ मार्च, २०१५ तथा अधिसूचना सं०-सी०एस०-०१/आर०-०४/ २००१/१२६९ दिनांक २१.०९.२०२३ के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

18. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक २५६१ दिनांक १७-०४-९८ द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

19. इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार एवं नोडल एजेंसी NFDB, हैदराबाद द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

20. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

21. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक १२.१०.१०/रॉची, दिनांक १९.०६.२६

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, झारखण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक १२.१०.१०/रॉची, दिनांक १९.०६.२६

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड, रॉची/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) तथा सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची/वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS/NFDB, हैदराबाद/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/10/10

1/10/10

1/10/10

सरकार के सचिव

वित्तीय वर्ष 2026-27 में माँग सं0-53-मत्स्य-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मछुआरों के बीमा का मौक्तिक (संख्या में) एवं वित्तीय (रुपये में) लक्ष्य

क्र0	जिला का नाम	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना			लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन			कुल मौक्तिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य	
		विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश - स्टेट टॉप अप)											
		मौक्तिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		मौक्तिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		मौक्तिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य				
			राज्यांश	केन्द्रांश		राज्यांश	केन्द्रांश		राज्यांश	केन्द्रांश			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रौंटी	1600	51174.400	76761.600	4200	134332.800	201499.200	2148	68701.632	103052.448	7948	254208.832	381313.248
2	खैटी	808	25843.072	38764.608	1779	56899.536	85349.304	615	19670.160	29505.240	3202	102412.768	153619.152
3	गुमला	277	8859.568	13289.352	3736	119492.224	179238.336	2810	89875.040	134812.560	6823	218226.832	327340.248
4	सिमडेगा	266	8507.744	12761.616	7764	248323.776	372485.664	502	16055.968	24083.952	8532	272887.488	409331.232
5	लोहरदगा	390	12473.760	18710.640	6180	197661.120	296491.680	2365	75642.160	113463.240	8935	285777.040	428665.560
6	लातेहार	127	4061.968	6092.952	5880	188065.920	282098.880	2093	66942.512	100413.768	8100	259070.400	388605.600
7	प0 सिंहभूम	330	10554.720	15832.080	3634	116229.856	174344.784	980	31344.320	47016.480	4944	158128.896	237193.344
8	पूर्वी सिंहभूम	150	4797.600	7196.400	1190	38060.960	57091.440	1700	54372.800	81559.200	3040	97231.360	145847.040
9	सरायकेला	800	25587.200	38380.800	5000	159920.000	239880.000	8000	255872.000	383808.000	13800	441379.200	662068.800
10	दुमका	575	18390.800	27586.200	4005	128095.920	192143.880	6010	192223.840	288335.760	10590	338710.560	508065.840
11	जामताड़ा	508	16247.872	24371.808	1763	56387.792	84581.688	4055	129695.120	194542.680	6326	202330.784	303496.176
12	साहेबगंज	1178	37677.152	56515.728	1013	32399.792	48599.688	4365	139610.160	209415.240	6556	209687.104	314530.656
13	पाकुड़	276	8827.584	13241.376	4144	132541.696	198812.544	2268	72539.712	108809.568	6688	213908.992	320863.488
14	हजारीबाग	1437	45961.008	68941.512	445	14232.880	21349.320	5512	176295.808	264443.712	7394	236489.696	354734.544
15	रामगढ़	210	6716.640	10074.960	300	9595.200	14392.800	5740	183588.160	275382.240	6250	199900.000	299850.000
16	कोडरमा	1925	61569.200	92353.800	98	3134.432	4701.648	5517	176455.728	264683.592	7540	241159.360	361739.040
17	घतरा	1840	58850.560	88275.840	555	17751.120	26626.680	3708	118596.672	177895.008	6103	195198.352	292797.528
18	बोकारो	180	5757.120	8635.680	329	10522.736	15784.104	3200	102348.800	153523.200	3709	118628.656	177942.984
19	गिरिडीह	870	27826.080	41739.120	279	8923.536	13385.304	7432	237705.088	356557.632	8581	274454.704	411682.056
20	धनबाद	920	29425.280	44137.920	905	28945.520	43418.280	4975	159120.400	238680.600	6800	217491.200	326236.800
21	गोड्डा	344	11002.496	16503.744	1027	32847.568	49271.352	5121	163790.064	245685.096	6492	207640.128	311460.192
22	पलामू	180	5757.120	8635.680	277	8859.568	13289.352	5950	190304.800	285457.200	6407	204921.488	307382.232
23	गढ़वा	397	12697.648	19046.472	368	11770.112	17655.168	5992	191648.128	287472.192	6757	216115.888	324173.832
24	देवघर	1580	50534.720	75802.080	835	26706.640	40059.960	10673	341365.232	512047.848	13088	418606.592	627909.888
योग:		17168	549101.312	823651.968	55706	1781700.704	2672551.056	101731	3253764.304	4880646.456	174605	5584566.320	8376849.480
अर्थात:		17168	549102.00	823652.00	55706	1781701.00	2672551.00	101731	3253764.00	4880647.00	174605	5584567.00	8376850.00

राज्यांश कुल मो0 55,84,567 /- (पचपन लाख चौरासी हजार पाँच सौ सड़सठ) रुपये मात्र।

(अनुबन्धक सिद्धीख पी0)
सरकार के सचिव